HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15056/2025
CNR: RJHC020994452025 | URN: CRLMB / 28926U / 2025

Chandra Mohan S/o Shri Ramkaran Meena, Aged About 31 Years, R/o Village Kheda Jagannathpura Tehsil Kotkhavda Police Station Kotkhavda, District Jaipur, (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Trough PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

18/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना–कोटखावदा, जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–266/2024 अपराध अंतर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, सह–अभियुक्त के पूछताछ नोट के आधार पर उसे मिथ्या रूप से प्रकरण में आलिप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट छः दिन के विलम्ब से दर्ज करवाई गई है, अकारण गिरफ्तार किया

गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वर्तमान मामले में परिवादी महेश कुमार जाट द्वारा अपने कुएं पर लगी बिजली की मोटर, रस्सा व 100 फिट केबल चोरी होने व हरलाल मीणा पर संदेह होने का आरोप लगाया है। अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हुआ है कि हरलाल मीणा द्वारा यह मोटर व अन्य सामग्री चुराकर त्रवीण सिंह को विक्रय कर दी और हरलाल मीणा द्वारा यह कथन किया है कि इस कार्य में अभियुक्त चंद्रमोहन द्वारा सहयोग किया गया है, कथित चोरी के सामान की बरामदगी हो चुकी है। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अंतरिम राहत दी गई थी, जिसके अनुसरण में सहयोग किया जा चुका है, अभियुक्त से कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी **चन्द्रमोहन पुत्र रामकरण मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहॉ पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

84/DINESH KUMAWAT